कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 301/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 02.08.2026

थाना- महराजगंज, जनपद आजमगढ़

थाना महराजगंज पुलिस की कार्यवाही: हत्या के प्रयास के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष महराजगंज जयप्रकाश के नेतृत्व में थाना महराजगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

पूर्व की घटना-
दिनांक 04.06.2026 को वादी विजय बहादुर मौर्य निवासी ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम, थाना महराजगंज द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि नामजद अभियुक्तों ने उनके भाई के साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 02.08.2026 को उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना पर हत्या के प्रयास के मुकदमे मु0अ0सं0 123/2026 धारा 110, 3(5), 115(2), 352, 333 एवं 109(1) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को औघड़गंज बाजार से समय 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत दोनों अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
1. इन्द्रजीत यादव पुत्र स्व. दस्सी यादव, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी नौबरार देवारा जदीद किता दोयम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
2. दल्ली उर्फ राजभान यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी नौबरार देवारा जदीद किता दोयम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0जयप्रकाश, उ0नि0 अवधेश कुमार यादव, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, हे0का0 जितेन्द्र यादव, का0 अनिल कुमार, का0 अजीत कुमार सिंह, का0 अभिरंजन कुमार थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

सरकारी स्कूल में योगा टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 17 फर्जी नियुक्ति पत्र एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज बरामद

फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कूटरचित दस्तावेज बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं धोखाधड़ी के मामलों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पूर्व की घटना-
दिनांक *01.08.2026* को वादिनी सुजाता जायसवाल पत्नी अंकित कुमार जायसवाल, निवासी पुरानी बस्ती (रोडवेज), थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि रितेश वर्मा, संदीप गुप्ता तथा उनके अन्य सहयोगियों ने सरकारी स्कूल एवं एनजीओ में योगा टीचर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रति व्यक्ति ₹1,35,000 की धनराशि प्राप्त की तथा *'Max Idea'* के नाम से फर्जी एवं कूटरचित नियुक्ति पत्र देकर अनेक लोगों के साथ धोखाधड़ी की। तहरीर के आधार पर थाना

मुबारकपुर पर *मु0अ0सं0 283/2026* धारा *111(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक *02.08.2026* को चौकी प्रभारी कस्बा उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा सूचना पर मुकदमे में वांछित अभियुक्त *रितेश वर्मा* को रोडवेज तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से *17 फर्जी नियुक्ति पत्र एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज* बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर धनराशि लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। गिरोह द्वारा इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दिए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
रितेश वर्मा पुत्र स्व. ओम प्रकाश वर्मा, निवासी पुरानी बस्ती, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 40 वर्ष।

बरामदगी-
- 17 अदद फर्जी नियुक्ति पत्र।
- अन्य कूटरचित दस्तावेज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी, का0 कुलदीप सरोज, का0 मुकुन्द मिश्रा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।